U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj
v/;{krk & yfyr dqekj xqIrk] vkbZ-,-,l

90¼,½ vihy la[;k 85@2017

vihykUVl	**cuke**	**jLiksMsUVl**
1. मिलापचन्द पुत्र स्व. लक्ष्मीचन्द, उम्र 65 वर्ष, 2. धनपतराज पुत्र स्व0. लक्ष्मीचन्द, छोनों जाति जैन (मेहता), निवासी, सांचोर, तहसील सांचोर, जिला जालोर।		1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार सांचोर। 2. नगरपालिका मण्डल, सांचोर 3. रमेश कुमार पुत्र जय शंकर श्रीमाली, रावों का बास, सांचोर।

jktLo vihy vUrxZr /kkjk 90&,¼9½ jkt0 Hkw jktLo vf/k0 1956

विरूद्ध आदेश क्रमांक/9727 दिनांक 4.3.2014 जो प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांचोर द्वारा ग्राम सांचोर के भूमि ख.नं. 2310 रकबा 0.11 हैक्टेयर (गै.मु. ढाणी) के खातेदारी अधिकारों को पर्यवसान किये जाने का आदेश दिया ।

mifLFkfr%&

1. श्री मूलाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित.।
2. श्री ओम प्रकाश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या एक की ओर से उपस्थित।
3. श्री ऋषिराज थानवी,, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर उपस्थित.।
4. श्री उम्मेद सिंह बावरला, अधिवक्ता रेस्पो.सं. 3 की ओर से उपस्थित.।

fu.k;

दिनांकः– 16.10.2018

प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि ग्राम सांचोर मे अपीलार्थीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि ख. नं. 2310 गै.मु. ढाणी आयी हुई है। राजस्व रेकर्ड मे अपीलार्थीगण इसके दर्ज काबिज खातेदार है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने मिलावट कर भूमि के खातेदार अपीलार्थीगण को सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना अपीलार्थी के खातेदारी अधिकारों पर कुठारघात करने के लिये सूमोटो धारा 90–ए का आदेश दिनांक 4.3.2014 को पारित करके अपीलार्थीगण के खातेदारी अधिकार अकारण समाप्त किये जाने का आदेश दे दिया तथा जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्यर्थी संख्या 1 ने नामान्तरकरण संख्या 1393 दर्ज कर भूमि को प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी। अपीलार्थीगण प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी

नगर पालिका सांचोर के उक्त आदेश दिनांक 4.3.2014 से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

हमने अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलॉन्ट्स व उनके पिता स्वर्गीय श्री लक्ष्मीचन्द ने ग्राम सांचौर के पुराना खसरा संख्या 613 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा भूमि जरिए रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज दिनांक 28.05.1991 से गेरी पुत्री ओखा से प्रतिफल देकर क्रय की। इस बेचाननामा के आधार पर जरिए नामान्तरकरण उक्त भूमि अपीलॉन्ट्स व उनके पिता के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हुई, तब से अपीलॉन्ट्स उक्त भूमि पर काबिज का त है तथा नए सर्वे से उक्त भूमि के नए खसरा संख्या 2308, 2309, 2310, 2311 सृजित हुए तथा ये खसरे एक ही चक में अवस्थित है। लक्ष्मीचन्द का देहान्त होने के कारण उनका नाम रिकार्ड से हटा दिया गया है। खसरा न. 2310 रकबा 0.11 हैक्टर राजस्व अभिलेख में गे.मु. ढाणी अपीलॉन्ट्स की खातेदारी में दर्ज है।

यह है कि अधिनियम 1956 की धारा 90 ए (1) से (6) तक के प्रावधानों अनुसार कोई भी खातेदार अपनी कृशि भूमि को विहित प्रक्रिया अनुसार अकृशि प्रयोजनार्थ उपयोग में रूपान्तरित करवा सकता है तथा धारा (7) अनुसार ऐसी अनुमति प्राप्त होने पर वह भूमि स्थानीय निकाय में निहित हो जाती है तथा ऐसी निहित भूमि मूल खातेदार को स्थानीय निकाय के नियमों अनुसार उसे पुनः आवंटन हेतु उपलब्ध होगी। इस प्रयोजनार्थ राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृशि भूमि का गैर कृशिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन नियम, 2012 बनाए गए है। उक्त नियम 2012 का अघ्याय–2 कृशि भूमि का अकृशिक – प्रयोजनों के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन खातेदार के पक्ष में करने का प्रावधान करता है। इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार सम्बधित खातेदार नियम 4 के अन्तर्गत प्रपत्र–I में प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन मय भापथपत्र (प्रपत्र–2) व क्षतिपूर्ति बोण्ड (प्रपत्र–3)मय दस्तावेज पे ा करेगा। प्राधिकृत अधिकारी नियम 6 के अन्तर्गत आवेदनों की संमीक्षा और जॉच करेगाा तथा प्रपत्र– 6 में तहसीलदार से सहमति आक्षेप मॉगेगा तथा प्रपत्र–7 में नगरपालिका भी आवेदन का परीक्षण करेगी तथा प्रपत्र –8 में अपनी राय भेजेगी। इसके प चात् प्रपत्र–9 में प्राधिकृत अधिकारी प्रपत्र 9 में वर्णित मदों पर अपनी जॉच करेगा। इसी प्रकार प्राधिकृत अधिकारी प्रपत्र–10 में 7 दिन का लोक सूचना का नोटिस जारी कर हितबद्ध व्यक्तियों से आक्षेप आमंत्रित करेगा तथा नोटिस को स्थानीय राज्य स्तरीय अखबार में भी प्रकाि ात करेगा। नियम 7 के प्रावधान अनुसार नियम–4 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का नियम 6 में विहित प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए प्राधिकृत अधिकारी प्रपत्र–11 में आवेदक को कृशि भूमि अकृशि भूमि प्रयोजनार्थ उपयोग करने हेतु अनुमति देगा या

कारण दर्ि ित करते हुए आवेदन अस्वीकार करेगा। नियम 7 (1) में अनुमति जारी करने पर प्राधिकृत अधिकारी आदे ा की एक प्रति तहसीलदार को स्थानीय निकाय के पक्ष में भूमि दर्ज करने हेतु भेजेगा तथा एक प्रति स्थानीय निकाय को अकृशि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन हेतु भेजेगा तथा एक प्रति उस खातेदार को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेगा जिसके खातेदारी अधिकारों का अवसान किया गया है।

यह है कि अपीलाधीन आदे ा क्रमांक – 9726 – 9728 दिनांक 04.03.2014 उक्त नियम 2012 के नियम 7(1) के अन्तर्गत प्रपत्र 11 में पारित किया गया है तथा अपीलॉन्ट्स को खातेदार तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 को खारीददार बताया गया है तथा '' आदे ा सुओ मोटो '' भीर्शक अंकित कर पारित किया है तथा अपीलॉन्ट्स की खातेदारी भूमि ग्राम सांचौर के ख.न. 2310 रकबा 0.11 हैक्टर पर से अपीलॉन्ट्स के खातेदारी अधिकार को समाप्त कर भूमि नगरपालिका सांचौर में निहित की है तथा तहसीदार सांचौर को उक्त वर्णन की भूमि नगरपालिका सांचौर के नाम दर्ज करने के आदे ा दिए है जो विधि विरूद्ध, गलत व तथ्यों के विपरीत होने से प्रारम्भतः भून्य व अवैध होने से अपास्त योग्य है क्योंकि अपीलॉन्ट्स ने अपनी उक्त खसरा न. 2310 रकबा 0.11 हैक्टर कृशि भूमि अकृशि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु अनुमति बाबत् नियम 4 के तहत् प्रपत्र 1, 2, 3 में कभी भी आवेदन नहीं किया है। प्राधिकृत अधिकारी की पत्रावली में ऐसा कोई आवेदन उपलब्ध नहीं है। अपीलॉन्ट्स ने व उनके पिता ने कभी भी उक्त खसरा न. 2310 की भूमि या उसके भाग का किसी भी प्रकार से यथा – बेचान, बेचान इकरारनामा, बक ि ा, वसीयत या अन्यथा प्रकार से कभी भी हस्तान्तरित किया है। ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा प्रत्यर्थी संख्या–3, ग्राम सांचौर के ख.न. 2310 का रिकार्डेड खातेदार जमाबंन्दी में नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदे ा दिनांक 04. 03.2014 में रमे ा कुमार को खारीददार बताकर व अपीलॉन्ट्स को आवेदक बताकर प्रपत्र 11 में नियम 7 (1) के तहत् आदे ा पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राधिकृत अधिकारी को नहीं था फिर भी क्षेत्राधिकार व रिकार्ड से परे जाकर नियम 4 के अन्तर्गत अपीलॉन्ट्स द्वारा प्रपत्र 1, 2, 3 में आवेदन नहीं करने के उपरान्त भी अपनी मनमर्जी से प्रत्यर्थी संख्या 3 से मिलावट करके व अपीलॉन्ट्स को हेरान, परे ाान व नुकसान पहुॅचाने की नीयत से पारित किया गया आदे ा एब –इनिि ायों –वाइड होने अपीलॉन्ट के हको के विरूद्ध बेअसर व भून्य है अतः अपास्त योग्य है।

यह है कि प्राधिकृत अधिकारी की पत्रावली संख्या 2043/2013 की आदेि ाकाओं के अवलोकन से स्पश्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 रमे ा कुमार ने दिनांक 07.12.2012 को एक

आवेदन पे ा कर भाहरी क्षेत्र नगरपालिका में निहित नजूल भूमि पर दिनांक 31.12.1991 से 15.08.2009 तक के अतिक्रमणों इत्यादि के तहत् 300 वर्गगज भूमि का नियमन करने हेतु आवेदन किया है जिसमें खसरा न. 2310 का उल्लेख नही है। नगरपालिका सांचौर ने आम सूचना क्रमांक –/आपति/2013/3771– 3773 दिनांक 04.09.2013 जारी की है जिसके क्रमांक 4 पर प्रत्यर्थी संख्या 3 रमे ा कुमार का नाम अंकित है तथा पत्रावली संख्या 2049/2013 भी गलत दर्ज है इस आम सूचना में अपीलॉन्ट्स का नाम नहीं है तथा कहीं पर भी ख.न. 2310 का उल्लेख तक नहीं है तथा आपत्तियॉ पे ा करने हेतु मात्र तीन दिन का समय दिया गया है। जब दिनांक 29.08.2013 को ख.न. 2310 की भूमि अपीलॉन्ट्स की खातेदारी में दर्ज थी, तो नियम 2012 के अध्याय 3 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही किये बिना नियमतीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ करना नियमों के विपरीत है। नियम 2012 के अध्याय तीन के तहत् कार्यवाही अधिनियम 1956 की धारा 90–ए की उपधारा 8 के तहत् बिना सक्षम अनुमति कृशि भूमि का अकृशि प्रयोजनार्थ उपयोग दिनांक 17.06.1999 से पूर्व करने पर नियम 2012 के नियम 13 के तहत् विहित प्रक्रिया अपनाकर ही खातेदारी अधिकारों का पर्यवसन किया जा सकता है, इस बाबत् प्राधिकृत अधिकारी को नियम 2012 के नियम 13(1) के तहत् सुओ मोटो कार्यवाही हेतु प्रपत्र – 12 में सम्बधित खातेदारों को लिखित नोटिस देना आज्ञात्मक है। ऐसा कोई नोटिस अपीलॉन्ट्स को नहीं दिया गया है, इसी प्रकार प्रपत्र 13 में लोक नोटिस का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रका ान नहीं किया गया है तथा प्रपत्र न. 13 की प्रति तहसीलदार को नहीं भेजी है इस प्रकार नियम 13 के तहत् विहित प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई है। नियमतिकरण हेतु आवेदन नियम 16(1) के तहत् प्रपत्र 14, 15,16 में नियम 13 के तहत् कार्यवाही पूर्ण करने के बाद ही हो सकती है। उक्त विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा नियम 16(1) के तहत् प्रपत्र 14, 15, 16 में आवेदन करने पर अपीलॉन्ट संख्या – 1 मिलापचन्द ने उजरदारी पे ा की। ख.न. 2310 की भूमि अपीलॉन्ट्स की खातेदारी भूमि है जिसे कभी भी किसी भी प्रकार से किसी को भी हस्तान्तरित नहीं की है। उक्त आपत्ति पर प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत नियमतिकरण का आवेदन दिनांक 29.11.2014 को नगरपालिका सांचौर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसी प्रकार पत्रावली संख्या 246/2013 में प्रत्यर्थी संख्या 3 का आवेदन भी दिनांक 11.04.2014 को खारिज कर दिया गया। उक्त दोनो आदे ाों के विपरीत प्रत्यर्थी संख्या 3 ने सक्षम न्यायालय में कोई अपील/दावा इत्यादि पे ा नहीं कीया है तथा ये आदे ा अंतिम हो चुके है। प्रत्यर्थी संख्या 3, अपीलॉन्ट्स द्वारा प्रस्तुत इस अपील में पक्षकार बनकर कोई रिलिफ प्राप्त करने का कानूनी रूप से हकदार नहीं है। उसका कोई लोकस स्टेन्डाई नहीं है।

यह है कि जब प्राधिकृत अधिकारी के आदे ा दिनांक 04.03.2014 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1393 दिनांक 29.05.2014 की जानकारी अपीलॉन्ट संख्या 1 को हुई तो उससे दिनांक 20.06.2104 को नामान्तरण की नकल प्राप्त कर सद्भावना से जिला कलक्टर जालौर के सक्षम दिनांक 26.06.2014 को धारा 75 अधिनियम, 1956 के तहत् अपील पे ा की,जिसे दिनांक 17.11.2014 को इस आधार पर खारिज किया कि जब तक प्राधिकृत अधिकारी का अपीलाधीन आदे ा दिनांक 04.03.2014 अपास्त नहीं होता है तब तक नामान्तरकरण खारिज नहीं किया जा सकता है। इस आदे ा दिनांक 17.11.2014 की नकल 18.11.2014 प्राप्त कर अपीलार्थी संख्या – 1 दिनांक 10.12.2014 को जोधपुर अपने वकील से सलाह म ाविरा करने गया तथा वकील की सलाह के अनुसार दिनांक 11.12.2014 को अपीलाधीन आदे ा की नकल दिनांक 17.12.2014 को प्राप्त कर दिनांक 04.01.2015 को अपने वकील से अपील तैयार कर अपील पे ा की। भीतकालीन अवका ा के कारण दिसम्बर 2014 के अंतिम सप्ताह में अपीलॉन्ट्स का वकील जोधपुर से बाहर था। इस प्रकार सर्वप्रथम सद्भावना से नामान्तरकरण की अपील अन्दर मियाद पे ा कर दी गई थी, जबकि अपीलाधीन आदे ा की अपील करनी चाहिए थी जिसकी सही जानकारी होने पर अपीलाधीन आदे ा की अपील पे ा की गई है ऐसी भूल कानून में क्षम्य है। इस बाबत् अपीलॉन्ट्स ने म्याद अधिनियम 1963 के नियम 5 के तहत् देरी को कन्डोन करने हेतु एक प्रार्थना पत्र मय भापथ पत्र पे ा किया है। विद्वान अभिभाशक ने अपनें तर्को के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक नजीरे पे ा की –

¼1½1989 आर. आर. डी. – 45 (लामूराम बनाम स्टेट)

¼2½1990 आर. आर. डी. –644 (मु. मंगलकुमारी बनाम स्टेट)

¼3½ 1991 आर. आर. डी. – 218 (जगदी ा बनाम फूलचन्द)

¼4½ 1991 आर. आर. डी. – 492 (नारायण बनाम स्टेट)

(5) 1998 आर. आर. डी.– 319) (यू. आई. टी. बनाम पूनमचंद)

(6) 2011 आर. आर. डी.– 11 (मु. पन्नी बनाम स्टेट)

(7) (1998) 7 एस. सी. सी. 123 (एन. बालकृश्णन बनाम एम. कृश्णामूर्ति)

उक्त न्यायिक दृश्टांतों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अवैध रूप से क्षेत्राधिकार से परे जाकर पारित किया गया आदे ा भून्य होने से कभी भी अपास्त किया जा सकता है तथा अपील का निपटारा मियाद के तकनीक बिन्दुओं पर जाकर करने के बजाय गुणावगुण के आधार पर सम्पूर्ण न्याय प्रदान करने के उद्े य से किया जाना चाहिए। मियाद के नियम पक्षकारों के अधिकारों को समाप्त करने के लिए नहीं है बल्कि पक्षकारों के मध्य न्याय

करना न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलॉन्ट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

यह है कि कि प्रत्यर्थी संख्या – 3 के पक्ष में विवादित भूमि बाबत् कोई टाइटल का दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है प्रत्यर्थी संख्या 3 ने 17.07.2008 का बेचान इकरारनामा नियमतिकरण के प्रार्थनापत्र के साथ पे ा किया है जिसके अनुसार उसने 60 फीट बाई 60 फीट का एक भूखण्ड रामादेवी पुत्री मांगीलाल, लाछीदेवी पुत्री ओकाजी, राजेन्द्र पुत्र मांगीलाल प्रजापत से खरीदना बताया है परन्तु इसमें खसरा न. 2310 का कोई उल्लेख नहीं है इससे यह पूर्णतः स्पश्ट है कि अपीलार्थी ने ख.न. 2310 में से कोई भूमि प्रत्यर्थी –3 को कभी भी किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं की है तथा अपीलार्थी रेकर्डेड खातेदार होने से किसी अन्य व्यक्ति को अपीलार्थी की भूमि, अपीलार्थी की आज्ञा बिना हस्तान्तरण का कोई विधिक अधिकार नहीं है। ऐसा हसतान्तरण विधिक दृश्टि से भून्य होने से अमान्य है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध बेअसर व भून्य है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस. बी. सिविल रिट पिटि ान संख्या 3670/2008 में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2011 (मीना भार्मा बनाम राजेन्द्र कुमार पोरवाल (2011)4 आर.एल.डब्लू. 3158 पे ा किया तथा कथन किया कि इस निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि खातेदार व अन्य पक्षों के मध्य भूमि विवाद का निपटारा संभागीय आयुक्त न्यायालय द्वारा अपील में निर्धारित नहीं किया जा सकता एवं ऐसे विवादों का निर्धारण केवल मात्र सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है अतः खसरा न. 2310 अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि होने से तथा कभी भी किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करने के कारण, प्रत्यर्थी संख्या –3 को कोई अधिकार, हक, टाइटल, स्वत्व प्राप्त नहीं है तथा ऐसे विवादों का निपटारा सक्षम नयायालय द्वारा ही नियमित वाद के जरिए तय किया जा सकता है। अतः प्रत्यर्थी संख्या –3 को इस अपील में उज्रदारी पे ा करने का कोई आधार प्राप्त नहीं है अतः अपील अपीलॉन्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदे ा को निरस्त फरमाया जावे तथा खसरा न. 2310 की भूमि अपीलार्थीगण के खाते में खातेदारी के रूप में पुनः दर्ज करने के आदे ा पारित करावे।

प्रत्यर्थी संख्या 2 नगरपालिका सांचौर की ओर से लिखित जबाब अपील व स्थगन प्रार्थनापत्र पे ा कर अभिलिखित किया है कि अपीलार्थी ने 1956 के अधिनियम की धारा 75 के तहत् कलक्टर जालोर के आदे ा दिनांक 17.11.2014 के विरूद्ध अपील पे ा की है तथा आवेदक द्वारा ग्राम सांचौर के खसरा न. 2310 रकबा 0.11 हैक्टर पर आवेदक के अधिकारों को आवासीय प्रयोजनार्थ निर्वाषित किया जायेगा तथा आवेदक ने आवेदन के साथ रिकार्ड भी पे ा

किया है तथा आवंटन करने का निवेदन किया है तथा ग्राम सांचौर के नामान्तरणकरण संख्या 1393 दिनांक 29.05.2014 से यह भूमि नगरपालिका के नाम आबादी दर्ज है अतः आदे ा सही पारित किया है। अपीलार्थी खसरा न. 2310 का खातेदार नहीं है तथा न ही काबिज का त व उनका आवास है। उक्त भूमि आबादी में दर्ज है तथा आवेदक ने धारा 90–ए के तहत् आवेदन पे ा किया उसी अनुसार नियमन किया है मौके पर आवासीय कॉलोनी है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार मौके पर आबादी बसी हुई है। अतः प्राधिकृत अधिकारी का आदे ा सही व वैद्य है अतः अपीलॉट की अपील अस्वीकार की जाकर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदे ा यथावत रखा जावे।

प्रत्यार्थी संख्या 3 रमे ा कुमार की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह द्वारा बहस करते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा पे ा की गई अपील मियाद बाहर है। अपीलाधीन आदेश की अपीलान्ट को शुरू से जानकारी थी। म्याद को कन्डोन करने के लिए प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में देरी के पर्याप्त एवं समुचित कारण अंकित नहीं है अतः इसी प्रारम्भिक आपत्ति पर अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने इस संबंध मे निम्न निर्णिय नजीरे पेश की– आर.आर.टी 2004 (1) पेज 327, आर आर टी 2014 (2) पेज 1331 (एस.सी), आर आर टी 2013 (2) पेज 887 (एस.सी), आर आर टी 1999 पेज 151 व 362, आर आर टी 1997 पेज 350, आर आर टी 2004 (1) पेज 19 उक्त निर्णय नजीरों के आधार पर अपीलान्ट कि अपील जानकारी के दिनांक से स्पष्ट रूप से मियाद बाहर होने से म्याद के बिन्दू पर ही काबिल खारीज है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या –3 ने विवादग्रस्त भूमि खसरा न. 2310 का कुछ हिस्सा जरिए इकरारनामा अपीलॉन्ट्स से क्रय किया है तथा उसी इकरारनामा के आधार पर काबिज है तथा नियमतिकरण का आवेदन नगरपालिका सांचौर में पे ा किया है जो अपीलार्थी –1 के आक्षेप के कारण खारिज किया गया है जिस बाबत् कानूनी कार्यवाही करेगें। इस भूमि के विवाद को लेकर पुलिस में एक प्रकरण भी अपीलार्थी –1 ने दर्ज कराया था जिसमें पुलिस द्वारा जॉच में प्रकरण झूठा पाया गया । मौके पर प्रत्यर्थी – 3 का कब्जा एवं आवास है अतः प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही सही है भूमि वर्तमान में नगरपालिका के नाम आबादी भूमि दर्ज है अतः अपीलॉन्ट्स की अपील खारिज की जावे तथा प्रत्यर्थी – 3 के नाम भूमि नियमन करने का आदे ा फरमावे।

हमने अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, प्रस्तुत न्यायिक दृश्टांतो एवं राजस्थान भू राजस्व

अधिनियम, 1956 की धाराच 90–ए तथा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृशि भूमि का गैर कृशिक प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन),नियम 2012 भली भांति गहन अध्ययन किया जिससे पाया गया कि ग्राम सांचौर, तहसील सांचौर, जिला जालोर का ख.न. 2310 रकबा 0.11 हैक्टर भूमि राजस्व अभिलेखों में गै. मु. ढाणी के रूप में अपीलॉन्ट्स की खातेदारी में दर्ज है। इस बाबत् प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पटवारी सांचौर से रिपोर्ट मंगवाई तो पटवारी ने विवादग्रस्त भूमि अपीलॉन्ट्स की खातेदारी में दर्ज होना जाहिर किया। बेचान इकरारनामा से प्रत्यर्थी –3 के पक्ष में कोई अधिकार सृजित नहीं हो सकते है ना ही कोई टाईटल प्राप्त होता है। इस आधार पर प्राधिकृत अधिकारी ने आदे ा दिनांक 29.01.2014 को प्रत्यर्थी –3 का नियमन का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया, जो आदे िाका से स्पश्ट है, जिसके विरूद्ध उसने कोई अपील आज तक पे ा नहीं की है। फिर भी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपीलॉन्ट्स के खातेदारी अधिकारों का अवसान करना विधि विरूद्ध वह abinitio void की श्रेणी मे आता है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश 90–ए मे दिये गये प्रावधाना के विपरीत होने से उसे यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अपीलॉन्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोम करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत भापथ पत्र, अपीलॉन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान पे ा तथ्यों, नियमों, एवं न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों अनुसार अपीलॉन्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन करना उचित प्रतीत होता है तथा प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना न्याय की दृष्टि से उचित है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा प्राधिकृत अधिकारी (अधि ााशी अधिकारी), नगरपालिका सांचौर, जिला जालोर द्वारा पारित आदे ा कमांक 9626–9628 दिनांक 04.03.2014 निरस्त किया जाता है एवं ग्राम सांचौर के खसरा न. 2310 रकबा 0.11 हैक्टर भूमि अपीलॉन्ट्स की खातेदारी में पुनः बहाल की जाती है। निर्णय दिनांक 16.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼yfyr d|ekj x|Irk½
fMoh tuy dfe'uj]tk/ki|j